उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
U.P.RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN:U40101UP1980SGC005065

सं0: 2842/मा0सं0प्र0–02/उ0नि0लि0/2022–22/मा0सं0प्र0–02/उ0नि0लि0/20018 दिनाँक: 21सितम्बर ,2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 209वीं बैठक, जो दिनाँक 29.08.2022 को सम्पन्न हुई के एजेण्डा आइटम संख्या–209.18 पर लिये गये निर्णयानुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें समूह ग, घ व ख के पदों पर हॉरिजेन्टल आरक्षण सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 3290–पीएण्डआर–28/पाकालि–2002 दिनाँक 16.10.2002, एवं 1679–पें0एवंआर0–28/पाकालि/13–10(2)–पें0एवंआर0/01टी0सी0–1, दिनांक 12.09.2013 तथा सं0: 892–पें0एवंआर0–28/पाकालि/22, दिनांक 24.06.2022 को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में समस्त संलग्नकों सहित तत्काल प्रभाव से अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0: 2842/मा0सं0प्र0–02/उ0नि0लि0/2022 , तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4- मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/कासिमपुर(अलीगढ़)/ पारीछा(झाँसी)/पनकी (कानपुर)।
5- मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/आर0एण्डएम0/जानपद/जानपद नव परियोजनाएँ/परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6- अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 29.08.2022 को सम्पन्न हुई 209वीं बैठक के एजेण्डा आइटम–209.18 के संदर्भ में।
9- मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
10- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफार्म/तापीय परिचालन इकाई/ टाण्डा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11- उप महाप्रबन्धक(औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12- कट फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
उप महाप्रबन्धक (02)

F:\Belal Arbi\22-Hr-02-2018 Viklang Reservation.doc

18/10/02

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

p. 25 A

सं: एस-3290-पीएण्डआर-28/पाकालि-2002-10(2)आरएण्डपी/2001 दिनांक: 16 अक्टूबर, 02

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की समूह "ग" व "घ" की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को तीन प्रतिशत का आरक्षण तथा समाज के अक्षम व्यक्तियों (विकलांगों) को उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में प्रत्येक समूह में तीन प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-481/44-2-1998, दिनांक 13.7.98 को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत करते हुए उसमें निहित प्राविधानों को कारपोरेशन के समूह "ग" एवं "घ" की सेवाओं में यथावश्यक संशोधनों सहित लागू करने का निर्णय लिया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 13.7.98 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आदेशित किया जाता है कि कारपोरेशन के सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समूह "ग" व "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का तीन प्रतिशत तथा समाज के अक्षम व्यक्तियों (विकलांग) में निम्नलिखित से ग्रसित प्रत्येक के लिये रिक्तियों का 1% (एक प्रतिशत) हारीजेन्टल आरक्षण उसी प्रकार लागू किया जाए जैसा कि राज्याधीन सेवाओं में लागू होगा:-

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

(ख) श्रवण ह्रास

(ग) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

3- इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोपरोक्त

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या-3290(1)पीएण्डआर-28/पाकालि-2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) समस्त निदेशक/अधिशासी अनिदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(3) मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
(4) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(5) अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(6) अध्यक्ष, जाँच समिति- प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(7) महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(8) मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।

आज्ञा से,

(ईश्वर लाल)
महाप्रबन्धक

संख्या:3290-(1)पी0एवंआर/28/पाकालि/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य:

1. सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनु0-2, बापू भवन" उ0प्र0 शासन।
3. महाप्रबंधक (का0प्र0-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, (उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त उप महाप्रबंधक/समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
6. कारपोरेशन (मुख्यालय) के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जे0पी0 शास्त्री)
उप महाप्रबंधक।

संख्या: 481/44-2-1998

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
मुख्य कार्यकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक, 13.7.98.

विषय: राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की समूह "ग" व "घ" की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को 3% का आरक्षण तथा समाज के अक्षम व्यक्तियों (विकलांगों) को उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में प्रत्येक समूह में 3% का आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-1360-चौवालिस-2/55/84, दिनांक 7 जनवरी, 1985 द्वारा सीधी भर्ती के समूह "ग" व समूह "घ" के पदों पर 3% का आरक्षण लागू किया गया था। इसी प्रकार शासनादेश संख्या-1566/चौवालिस-1-81-3(62)-74-टी०सी०, दिनांक 28 अगस्त, 1981 द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में समाज के अक्षम व्यक्तियों (फिजीकली हैण्डीकैप्ड) को सीधी भर्ती के उपर्युक्त पदों पर 2% का आरक्षण इस शर्त के साथ दिया गया था कि जिन पदों पर विकलांग व्यक्ति कार्य करने के लिए उपयुक्त पाये जायें, केवल उन पर ही उनकी नियुक्ति की जायेगी। यह आरक्षण कुल उपलब्ध पदों के समक्ष रखा जाना था।

2. उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 लागू होने के बाद से उपरोक्त शासनादेश प्रभावी नहीं रह गये हैं। अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त संबंधित उपक्रमों/नि... से संबंधित नियमों/अधिनियमों, कम्पनीज ऐक्ट-1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-1860 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रणों अधिनियम-1975 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय यह निर्देश देते हैं कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समूह "ग" व "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 3 प्रतिशत तथा समाज के अक्षम व्यक्तियों (विकलांग) में निम्नलिखित से ग्रसित प्रत्येक के लिए रिक्तियों का एक प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण उसी प्रकार लागू कर दिया जाय जैसे कि राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है:-

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

(ख) श्रवण ह्रास

(ग) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

3. आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायगा जिनसे वे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा। इस प्राविधान के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि उपरोक्त नीति के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी विकलांग कोटे में चयनित होता है, पर वह अनुसूचित जाति का सदस्य है तो उसकी गणना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे की रिक्तियों के [illegible]

संख्या:3290-(1)पी०एस०आर/28/पा०का०लि/2002 तद्दि०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य[illegible] प्रेषित:-

1. सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
2. संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनु०-2, बापू भवन, उ०प्र० शासन।
3. महाप्रबंधक (का०प्र०-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, (उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त उप महाप्रबंधक/समस्त अधिशासी अभियंता, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
6. कारपोरेशन (मुख्यालय) के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जे०पी० शास्त्री)
उप महाप्रबंधक।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1679–पें0एवंआर0–28/पाकालि/13–10(2)–पें0एवंआर0/01टीसी–1, दिनांक : 12 सितम्बर, 20

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3290–पीएण्डआर–28/पाकालि/2002 दिनांक 16.10.2002, जिसके द्वारा शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या–481/44–2–1998 दिनांक 13.07.98 को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत करते हुये कारपोरेशन के समूह ग', 'घ' की सेवाओं में कुल रिक्तियों का तीन प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा विकंलागजनों को प्रत्येक समूह में एक–एक प्रतिशत (तीन प्रतिशत) का हौरिजेन्टल आरक्षण, प्रदान किया गया था, के आंशिक संशोधन में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के परिपत्र संख्या : 18/1/95–का–2/टी0सी0–1999, दिनांक 09 सितम्बर, 1999 तथा उसके साथ संलग्न उ0प्र0 सरकार, विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1485–सत्रह–वि–1–1–(क)–23/1999 दिनांक 28.07.1999 (प्रतिलिपि संलग्न) को आवश्यक संशोधनों सहित अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन की सेवाओं में समूह 'ग' एवं 'घ' के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों के तीन प्रतिशत के स्थान पर अब **5** प्रतिशत हौरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा। कारपोरेशन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के शेष प्राविधान एवम् शर्तें यथावत् रहेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

अध्यक्ष

संख्या : 1679(I)–पें0एवंआर0–28/पाकालि/13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/केस्को, कानपुर/ट्रांन्सको, लखनऊ।
8. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

क्रमशः...2

शासनादेश

संख्या : 18/1/95-का-2/टी0सी0-1999.

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 1999

कार्मिक अनुभाग-2

विषय : उ0प्र0 लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 28 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित उ0प्र0लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त (संशोधन) अधिनियम की निम्नलिलिखत मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :--

1. इस संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह संशोधन अधिनियम 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार समूह "क" के पद या समूह "ख" के पद का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है।

3. इस अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (एक-क) के अनुसार समूह "क" के पदों या समूह "ख" के पदें से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का **5 प्रतिशत** भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।

3. आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न संशोधन अधिनियम, 1999 के समस्त प्राविधानों का सभी स्तरों पर उन सभी लोक सेवाओं व पदो के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिसका उल्लेख आरक्षण संशोधन अधिनियम में उल्लिखित है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें, ताकि इन प्राविधानों का संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव

उ0प्र0 शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1999

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या : 1485/सत्रह–वि–1–1–(क)–23–1999

लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 1999

अधिसूचना/विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)(संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 27 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 1999

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रसर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

<u>1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1)</u> यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 महा जायेगा।

(2) यह 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

<u>2–उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन</u>–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ–1) 'समूह क के पद' या 'समूह ख के पद' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

<u>3–धारा–3 का संशोधन</u>–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए;

(एक–क) समूह 'क' के पदों या समूह 'ख' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में 21 मई, 1999 की ओर से रिक्तियों का दो प्रतिशत, और ऐसे दिनांक को और से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतत्रंता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम; 1999 गजट में प्रकाशित किया जाय रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए;

<u>4–धारा 5 का संशोधन–</u> मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित अस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 892–पें0एवंआर0–28/पाकालि/22–10(2)–पें0एवंआर0/01(टीसी–1), दिनांक : 24 जून, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 के शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1999 की अनुसारिता में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 18/1/95–का–2/टी0सी0–1999, दिनांक 09.09.1999 तथा उ0प्र0 शासन विधायी अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 1485–सत्रह–वि–1–1–(क)–23/1999, दिनांक 28.07.1999, जिसके द्वारा समूह "ग" व "घ" के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों के 03 प्रतिशत के स्थान पर 05 प्रतिशत हौरिजेन्टल आरक्षण अनुगन्य किया गया है, को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1679–पें0एवंआर0–28/पाकालि/13–10(2)–पें0एवंआर0/01टीसी–1, दिनांक 12.09.2013 द्वारा अंगीकृत किया गया है।

2. इसी क्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 26 मई, 2022 को सम्पन्न 179वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक/अधिनियम, 2021 की अनुसारिता में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या : 1/2021/18/1/95/का–2/2021, दिनांक 16.03.2021 जिसके द्वारा राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्सम्बन्धी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें समूह "ख" के पदों पर भी 05 (पाँच) प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित की सेवाओं में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को समूह–ख, ग एवं घ में 05 प्रतिशत हौरिजेण्टल आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 892–पें0एवंआर0–28/पाकालि/22 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव(पें0एवंआर0)